

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

उर्वरक विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | 9.40 | 65628.86 | 65638.26 | 15.56 | 65999.96 | 66015.52 | 8.06 | 67999.96 | 68008.02 | 12.34 | 67999.96 | 68012.30 | |
| पूँजी | ... | ... | ... | 253.44 | 0.04 | 253.48 | 0.94 | 0.04 | 0.98 | 87.66 | 0.04 | 87.70 | |
| जोड़ | 9.40 | 65628.86 | 65638.26 | 269.00 | 66000.00 | 66269.00 | 9.00 | 68000.00 | 68009.00 | 100.00 | 68000.00 | 68100.00 | |
| 1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 3451 | ... | 18.54 | 18.54 | ... | 25.96 | 25.96 | ... | 25.96 | 25.96 | ... | 26.98 | 26.98 |
| फसल कार्य | | | | | | | | | | | | | |
| 2. आयातित उर्वरकों पर सस्मिडी | 2401 | ... | 15132.46 | 15132.46 | ... | 15544.64 | 15544.64 | ... | 12044.64 | 12044.64 | ... | 12300.00 | 12300.00 |
| 3. विनियंत्रित उर्वरकों पर सस्मिडी | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए विनिर्माताओं/ एजेंसियों को भुगतान | 2401 | ... | 30480.35 | 30480.35 | ... | 29426.86 | 29426.86 | ... | 29426.86 | 29426.86 | ... | 24670.30 | 24670.30 |
| 3.02 उर्वरक बांड की बिक्री में हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति | 2401 | ... | ... | ... | ... | 0.02 | 0.02 | ... | 0.02 | 0.02 | ... | 0.02 | 0.02 |
| जोड़- विनियंत्रित उर्वरकों पर सस्मिडी | ... | ... | 30480.35 | 30480.35 | ... | 29426.88 | 29426.88 | ... | 29426.88 | 29426.88 | ... | 24670.32 | 24670.32 |
| जोड़-फसल कार्य | ... | ... | 45612.81 | 45612.81 | ... | 44971.52 | 44971.52 | ... | 41471.52 | 41471.52 | ... | 36970.32 | 36970.32 |
| 4. उर्वरक उद्योग | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 स्वदेशी उर्वरकों पर सस्मिडी | 2852 | ... | 20000.00 | 20000.00 | ... | 21000.00 | 21000.00 | ... | 26500.00 | 26500.00 | ... | 31000.00 | 31000.00 |
| 4.02 उर्वरक बांड की बिक्री में हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति | 2852 | ... | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |
| जोड़- उर्वरक उद्योग | ... | ... | 20000.00 | 20000.00 | ... | 21000.01 | 21000.01 | ... | 26500.01 | 26500.01 | ... | 31000.01 | 31000.01 |
| 5. उर्वरक विकास योजनाओं के लिए अन्य अनुसंधान योजनाएं | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 एसएंडटी कार्यक्रम | 2852 | 1.93 | ... | 1.93 | 2.00 | ... | 2.00 | 1.50 | ... | 1.50 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 6. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना भिन्न ऋण | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड | 6855 | ... | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |
| 6.02 फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया | 6855 | ... | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |
| 6.03 पाईराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि. | 6855 | ... | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |
| 6.04 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर | 6855 | ... | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| कारपोरेशन लि. | | | | | | | | | | | | | |
| जोड़- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना भिन्न ऋण | ... | ... | ... | ... | 0.04 | 0.04 | ... | 0.04 | 0.04 | ... | 0.04 | 0.04 | |
| 7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान | 6552 | ... | ... | 24.99 | ... | 24.99 | 0.90 | ... | 0.90 | 9.99 | ... | 9.99 | |
| 8. सरकारी उद्यमों में निवेश | 6855 | ... | ... | 228.44 | ... | 228.44 | 0.03 | ... | 0.03 | 72.67 | ... | 72.67 | |
| 9. विदेशों में संयुक्त उपक्रम के लिए निवेश | 4855 | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 5.00 | ... | 5.00 | |
| 10. अन्य कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 एचएफसीएल, एमएफएल, एफएसीटी, एफसीआई तथा पीडीआईएल पर भारत सरकार ऋण के बकाया ऋण, ब्याज तथा दण्ड ब्याज को बट्टे खाते डालने हेतु | 3475 | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | |
| 10.02 अन्य कार्यक्रम | 2852 | 7.47 | 2.01 | 9.48 | 13.56 | 2.45 | 16.01 | 6.56 | 2.45 | 9.01 | 10.34 | 2.63 | 12.97 |
| 10.03 पीपीएल की समापन पत्र समायोजना देयताएं | 3475 | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | |
| जोड़- अन्य कार्यक्रम | | 7.47 | 2.01 | 9.48 | 13.56 | 2.47 | 16.03 | 6.56 | 2.47 | 9.03 | 10.34 | 2.65 | 12.99 |
| 11. वास्तविक वसूलियाँ | 2852 | ... | -4.50 | -4.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| कुल जोड़ | | 9.40 | 65628.86 | 65638.26 | 269.00 | 66000.00 | 66269.00 | 9.00 | 68000.00 | 68009.00 | 100.00 | 68000.00 | 68100.00 |
| विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | |
| ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. | 12855 | ... | ... | ... | 211.43 | ... | 211.43 | 0.01 | ... | 0.01 | 42.66 | ... | 42.66 |
| 8.02 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 12855 | ... | 1905.90 | 1905.90 | ... | 803.20 | 803.20 | ... | 962.37 | 962.37 | ... | 150.00 | 150.00 |
| 8.03 प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट (इंडिया) लि. | 12855 | ... | 3.10 | 3.10 | ... | 18.17 | 18.17 | ... | 8.81 | 8.81 | ... | 21.55 | 21.55 |
| 8.04 राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. | 12855 | ... | 206.20 | 206.20 | ... | 978.29 | 978.29 | ... | 338.32 | 338.32 | ... | 311.45 | 311.45 |
| 8.05 मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. | 12855 | ... | ... | ... | 17.00 | ... | 17.00 | 0.01 | ... | 0.01 | 30.00 | ... | 30.00 |
| 8.06 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. | 12855 | ... | ... | ... | 25.00 | ... | 25.00 | 0.91 | ... | 0.91 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 8.07 कृषक भारती कोऑपरेटिव लि. | 12855 | ... | ... | ... | ... | 927.00 | 927.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8.08 भारतीय उर्वरक निगम लि. (फैगमिल) | 12855 | ... | 0.23 | 0.23 | ... | 44.05 | 44.05 | ... | 9.13 | 9.13 | ... | 38.64 | 38.64 |

| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | आं. व. वा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. व. वा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. व. वा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. व. वा. सं. | जोड़ | |
| जोड़ | | ... | 2115.43 | 2115.43 | 253.43 | 2770.71 | 3024.14 | 0.93 | 1318.63 | 1319.56 | 82.66 | 521.64 | 604.30 |
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | | |
| 1. उर्वरक उद्योग | 12855 | 9.40 | 2115.43 | 2124.83 | 244.01 | 2770.71 | 3014.72 | 8.10 | 1318.63 | 1326.73 | 90.01 | 521.64 | 611.65 |
| 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | 24.99 | ... | 24.99 | 0.90 | ... | 0.90 | 9.99 | ... | 9.99 |
| जोड़ | | 9.40 | 2115.43 | 2124.83 | 269.00 | 2770.71 | 3039.71 | 9.00 | 1318.63 | 1327.63 | 100.00 | 521.64 | 621.64 |

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. **आयातित उर्वरकों पर राजसहायता:** चूंकि उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात की व्यवस्था की जाती है। इसमें मुख्यतः आयातित उर्वरकों का मूल्य और उर्वरकों की हैण्डलिंग और वितरण की लागत शामिल होती है। किसानों को दिए जाने वाले आयातित उर्वरकों के विक्री मूल्य को उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है और इस प्रकार उपभोक्ता मूल्यों को सांविधिक रूप से विनियमित किया जाता है। यह विक्री मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्री मूल्य के समान होता है। किसानों को उर्वरकों की विक्री और सरकार की आयात लागत से प्राप्त राशि के बीच का अंतर उर्वरक आयात पर राजसहायता को दर्शाता है।

3. **नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर राजसहायता:** यह प्रावधान किसानों को रियायत मूल्य पर नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों की विक्री की योजना के अंतर्गत पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनवीएस) के अंतर्गत उर्वरकों के विनिर्माताओं/आयातकों/एजेंसियों को भुगतान करने के लिए किया गया है। इस रियायत से बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए पोषक-तत्व आधारित उर्वरकों (एनपीके) का संतुलित प्रयोग होगा।

4. **उर्वरक उद्योग:** यह प्रावधान उर्वरक मूल्य-निर्धारण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राजसहायता से संबंधित है जिसमें यूरिया के उत्पादन के लिए भाड़ा राजसहायता शामिल है। राजसहायता योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है और उर्वरकों के उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित प्रतिलाभ देना है। रियायत मूल्य, जिसे वितरण मार्जिन को घटाकर निर्धारित किया गया है, तथा सांविधिक नियंत्रित उपभोक्ताओं के मूल्य के बीच अंतर के लिए राजसहायता दी जाती है। राजसहायता की मात्रा रियायत मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है।

5. **उर्वरक विकास के लिए अन्य अनुसंधान योजनाएं:** यह प्रावधान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य तथा उर्वरकों के लिए उत्पादन के अनिवार्य तकनीकी जानकारी का विकास करने के लिए है।

6. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-योजना ऋण:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋणों के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।

8. **सार्वजनिक उद्यम में निवेश:** इन उद्यमों को वजतीय सहायता का ऋणवार ब्यौरा तथा आईईबीआर व्यय बजट खण्ड-II में दिया गया है।

8.01. **फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि0 (फैक्ट):** फैक्ट 647.07 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी वाली एक पीएसयू है, जिसमें भारत सरकार की 98.5% धारिता है। कंपनी के दो डिविजन हैं, एक उद्योगमंडल और दूसरा कोच्चि में है। उद्योगमंडल डिविजन में कंपनी फैक्टमफोस (एनपी 20:20), अमोनियम सल्फेट और केप्रोलैक्टम का उत्पादन करती है, जिसकी स्थापित क्षमता क्रमशः 1.485, 2.25 और 0.5 लाख मी.टन है। कंपनी का कोच्चि डिविजन 4.85 लाख मी.टन की स्थापित क्षमता के साथ केवल फैक्टमफोस (एनपी 20:20) का उत्पादन करता है। कोचीन स्थित यूरिया इकाई प्रचालन में नहीं है।

8.02. **नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल):** एनएफएल एक पीएसयू है जिसकी प्रदत्त पूंजी 490.58 करोड़ रुपए है, जिसमें से 97.64% भारत सरकार द्वारा धारित है। कंपनी की पाँच इकाइयां हैं नामतः नांगल, भटिण्डा, पानीपत, विजयपुर-I और विजयपुर-II, जो यूरिया का उत्पादन करती हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 32.307 लाख मी.टन प्रतिवर्ष है। कंपनी ने अपनी तीन एफओ आधारित इकाइयों अर्थात् पानीपत, भटिण्डा और नांगल इकाइयों को ईंधन तेल (एफओ) के लिए फीडस्टॉक को गैस में परिवर्तित करने की परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इसके अलावा, वे अपनी विजयपुर-I और विजयपुर-II संयंत्रों में ऊर्जा की बचत करने और यूरिया इकाइयों की क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही कर रहे हैं।

8.03. **प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल):** पीडीआईएल एक पीएसयू है जिसकी प्रदत्त पूंजी 17.30 करोड़ रुपए है और इस कंपनी में भारत सरकार की 100% इक्विटी है। पीडीआईएल की एक डिजाइन इंजीनियरिंग और परामर्शदात्री सेवा इकाई है जो उर्वरक कंपनियों की डिजाइन इंजीनियरिंग, तकनीकी खरीद, पर्यवेक्षण, निर्माण और स्थापना आदि के क्षेत्र में सहायता कर रही है। कंपनी उर्वरक और रिफाइनरी उद्योगों के लिए कैटेलिस्टों का निर्माण भी कर रही है।

8.04. **राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफएल):** आरसीएफ एक पीएसयू है जिसकी प्रदत्त पूंजी 551.69 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार की साम्या 92.50% है। कंपनी नाइट्रोजन और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों तथा मेथनॉल और अमोनियम नाइट्रेट आदि जैसे कुछ औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन कर रही है। कंपनी की प्रचालन इकाइयां थॉल और ट्रॉम्बे में हैं जिनकी यूरिया और मिश्रित उर्वरकों की कुल उत्पादन क्षमता क्रमशः 20.37 लाख मी.टन और 6.61 लाख मी.टन है।

8.05. **मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल):** मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) एक पीएसयू है जिसकी कुल प्रदत्त पूंजी 161.10 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 59.50% साम्या धारित है। इसके अलावा, एनआईसीओ जो एक ईरान की कंपनी है, की साम्या 25.77% तथा शेष 14.73% साम्या जनता द्वारा धारित है। कंपनी यूरिया और मिश्रित उर्वरकों (एनपीके) का उत्पादन कर रही है और उसकी प्रतिवर्ष स्थापित क्षमता क्रमशः 4.87 लाख मी.टन और 8.40 लाख मी.टन है।

8.06. **बह्लपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कोर्पोरेशन लि0 (बीवीएफसीएल):** बीवीएफसीएल 365.83 करोड़ रुपए की कुल प्रदत्त पूंजी वाली एक पीएसयू है, जिसमें भारत सरकार की कुल साम्या 100% है। कंपनी की नामरूप-II और नामरूप-III नाम की दो इकाइयां जो यूरिया का उत्पादन करने का कार्य कर रही हैं। नामरूप-II की वार्षिक स्थापित क्षमता 2.40 लाख मी. टन है परन्तु गैस की कमी के कारण केवल 1.20 लाख मी.टन क्षमता वाली एक स्ट्रीम ही कार्य कर रही है। नामरूप-III की वार्षिक स्थापित क्षमता 2.70 लाख मी.टन है।

8.07. **कृषक भारती कोआपरेटिव लि0 (कृभको):** कृषक भारती कोआपरेटिव लि0 द्वारा हजीरा, गुजरात में सहकारी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस आधारित बड़े आकार के अमोनिया/यूरिया परिसर की स्थापना की गई है जिसकी वार्षिक स्थापित क्षमता 6.68 लाख टन नाइट्रोजन की है।

8.08. **फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (फैगमिल):** फैगमिल 7.33 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी वाली एक पीएसयू है जो भारत सरकार द्वारा धारित है। कंपनी जिप्सम खनिज का खनन और विपणन करती है। जिप्सम का प्रयोग मुख्यतः मृदा के लिए सल्फर पोषक तत्व के रूप में, सोडायुक्त मृदा के मृदा सुधार तथा सीमेन्ट उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप भी किया जाता है। फैगमिल की जिप्सम की 15 खानें राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जिलों में स्थित है।

9. **विदेशों में संयुक्त उद्यमों के लिए निवेश:** विदेशों में संयुक्त उद्यमों (जेवी) के लिए निवेश करने के प्रावधान है।

10. **अन्य कार्यक्रम:** इसमें उर्वरक विभाग के एक संबद्ध कार्यालय उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्यालय के लिए गैर योजना प्रावधान, प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुदान, भारत सरकार के ऋणों को बटटे खाते डालना, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि0, फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, प्रोजेक्टस एंड डेवलपमेन्ट (इंडिया) लि0, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि0 और फर्टिलाइजर्स और कैमिकल्स ट्रावनकोर लि0 द्वारा देय ब्याज और दंडात्मक ब्याज आदि शामिल हैं।